न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़ (जिला बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुरेश कुमार प्रथम, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या — 166 / 2024

अनवान

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
मधु राठौड पत्नी चतरसिह जाति— राजपुत, निवासी— झणकली तहसील—गडरारोड़, जिला—बाड़मेर		1. तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाड़मेर 2. चूनसिंह पुत्र भंवरसिंह 3. मेहरसिंह पुत्र मानसिंह 4. लूणसिंह पुत्र मानसिंह 5 लीलसिंह पुत्र पूनमसिंह जाति राजपूत निवासी झणकली तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर हाल निवासी पूलिस लाईन गेट के सामने, लक्ष्मी नगर, बाड़मेर जिला बाड़मेर 6. चतरसिंह पुत्र उतमसिंह जाति राजपूत निवासी झणकली तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर हाल निवासी बबलू भवन वाली गली, बी.एस.एफ. तारबंदी के पास, नेहरू नगर, बाड़मेर 7. गोविन्दसिंह पुत्र उतमसिंह 8. मोतीसिंह पुत्र उतमसिंह 9. राजूसिंह पुत्र उतमसिंह 10 धाई कंवर पत्नी उतमसिंह जाति राजपूत निवासी झणकली तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर हाल निवासी आकाशवाणी रोड़, दानजी की होदी, बाड़मेर 11. सुगनी कंवर पुत्री उतमसिंह पत्नी सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी झणकली तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर हाल निवासी तगसिंह की चक्की के पास, लक्ष्मी नगर, बाड़मेर जिला बाड़मेर 12. गेनसिंह पुत्र उतमसिंह जाति राजपूत निवासी झणकली तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :—1. श्री ईश्वरसिह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री कंवराज बेनिवाल अधिवक्ता विप्रार्थी 02 से 05।

निर्णय — दिनांक 12.02.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि तहसील गडरारोड़, पटवार मण्डल झणकली के ग्राम झणकली में प्रार्थीनी के खातेदारी में खसरा नम्बर 778 / 690 रकबा 2.4524 हैक्टेयर भूमि आई हुई है [illegible] द्वारा मौजा झणकली पटवार हल्का झणकली तहसील गडरारोड़ में [illegible] नम्बर 778 / 690 रकबा 2.4524 हैक्टेयर भूमि व विप्रार्थी संख्या 2 से [illegible] के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 690 / 494, 494, 691 / 494, 704 / 494 की लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में की [illegible] तरमीम को निरस्त करते हुए प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण संख्या 2 से 12 के कब्जे काश्त अनुसार नये सिरे प्रदर्श—ब अनुसार तरमीम करते हुए लट्ठा ट्रेस व ऑन लाईन नक्शा में तरमीम दुरस्त (शुद्धिकरण) करवाने का आदेश प्रदान कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। तहसीलदार गडरारोड़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विप्रार्थी संख्या 02 से 05 के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 06 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

मौका रिपोर्ट पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार गडरारोड से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन भू–नक्शा में अंकित तरमीम जिसको संलग्न नक्शा में परिशिष्ट–अ व मौका कब्जा–काश्त जिसे संलग्न नक्शे परिशिष्ट–ब मे भिन्नता है। इसकी तरमीम संलग्न नक्शे परिशिष्ट–ब अनुसार की जावे इसके विपरित विप्रार्थी संख्या 02 व 05 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार गडरारोड से प्राप्त मौका रिपोर्ट ग्राम के मौजिज मौतबरान के रूबरू तैयार नहीं की गई है। इसलिए प्रार्थीनी का आवेदन खारिज किया जावें।

तहसीलदार गडरारोड से प्राप्त मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि ग्राम झणकली के खसरा संख्या 778/690 रकबा 2.4524 हैक्टैयर की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू–नक्शा में अंकित तरमीम जिसको संलग्न नक्शा में परिशिष्ट–अ से दर्शाया गया हे व मौका कब्जा–काश्त जिसे संलग्न नक्शे परिशिष्ट–ब से दर्शाया गया है दोनो मे भिन्नता है। वादी की ढाणियों व टांका परिशिष्ट–ब अनुसार ही मौके पर है प्रतिवादी के खसरा नंबर 704/494 की स्थिति मौके पर परिशिष्ट–ब अनुसार ही है। व खसरा नंबर 690/494, 494, 691/494 की स्थिति मौके पर परिशिष्ट–ब अनुसार ही है परिशिष्ट–ब अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना उचित है।

हमने उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस व तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली में मौजूद दस्तावेजो का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया।

लिहाजा प्रार्थीनी का तरमीम दुरस्ती करवाने का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा झणकली पटवार हल्का झणकली तहसील गडरारोड़ में अवस्थित प्रार्थीनी के खेत खसरा नम्बर 778/690 रकबा 2.4524 हैक्टेयर भूमि व विप्रार्थी संख्या 2 से 12 के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 690/494, 494, 691/494, 704/494 भूमि की तरमीम मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे परिशिष्ट–ब अनुसार तहसीलंदार गडरारोड को तरमीम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न नक्शा (परिशिष्ट–ब) इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

उपखण्ड अधिकारी गडरारोड (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 12.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया व मुहर अदालत के जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner